

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18349-55

दिनांक:- 13 जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ. 3 (ख)()/अलेसे-11/17343-49 दिनांक 29.11.2013 में संशोधन करते हुए श्री रामेश्वर इचोलिया, लेखाकार (मेरिट नं. 343/2011 लिंक नं. 9627) कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ को कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।

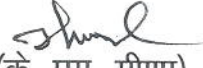

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18349-55

दिनांक:- 13 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री रामेश्वर इचोलिया, लेखाकार (मेरिट नं. 343/2011 लिंक नं. 9627) कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़
6. श्री सचिन शर्मा, लेखाकार (लिंक नं. 9468) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(कै. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग